राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. **राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन** :– इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से ऊपर के निराश्रित वृद्धाओं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है को 125 रूपया मासिक पेंशन प्रदान किया जाता हैं। योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को 75 रूपया का अंश भारत सरकार द्वारा तथा 50 रूपये का अंश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। योजना में नवीन स्वीकृति की कार्यवाही उन्ही ग्राम सभाओं में करने का प्रावधान हैं जहॉ पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यु हो जाती हैं उन्ही के स्थान पर नये लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही ग्राम सभा की खुली बैठक में करने का शासन द्वारा निर्देश है। चयनित लाभार्थी के पेंशन की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा चेक के माध्यम सें उनके बैंक खाते में प्रेषित किया जाता हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रो में मृतक एवं अपात्र के रिक्त स्थानों पर स्वीकृति की कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा की जाती हैं।

2. **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना** :– इस योजना में गरीबी रेखा के नीचें जीवन यापन करने वालें परिवार मुखिया जो परिवार के आय का मुख्य स्रोत्र तथा जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के मध्य हो, की मुत्यु पर 10,000 रूपये प्रदान किया जाता है। मृतक के संबंध में परिवार रजिस्टर की नकल एवं आकस्मिक मृत्यु पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पत्र के रूप में दाखिल किया जाता है। इस योजना में आवेदन पत्रों की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। तत्पश्चात समाज कल्याण विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। इस योजना के आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी /जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

3. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना** :– इस योजना के अन्तर्गत ऐसे गर्भवती माताओं को लाभान्वित किया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। यह लाभ मात्र दो वच्चों तक ही प्रदान किया जाता है। प्रत्येक प्राप्त महिला लाभार्थी को 500 रूपये नकद पुष्टाहार के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। विस्तृत जानकारी खण्ड विकास अधिकारी /जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com